न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

5

जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या–33/2014–15

मोदी चौधरी बगैरह बनाम डब्ल्यू चौधरी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03

10.08.15

आदेश

आवेदक 01. मोदी चौधरी, 02.सुबेलाल चौधरी, पेसरान–स्व0 पालो चौधरी, 03.मसो0 सुदीना देवी पति स्व0 सदानंद चौधरी, साकिनान कवेला, थाना–परबत्ता, जिला–खगड़िया ने डब्ल्यू चौधरी पे0–ज्योतिद्र चौधरी, ग्राम–कवेला, थाना–परबत्ता, जिला–खगड़िया के विरूद्ध यह वाद निम्न भूमि पर लाया है:–

मौजा	थाना नं0	तौजी नं0	जमाबंदी नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा वि0क0धू0धूरकी0
कवेला	229	525	461	118	510	02–03–12–10

आवेदकगण का कहना है कि वे जमाबंदी संख्या–461 के यर्थार्थ स्वामी(Bonafied owner) है। स्व0 पालो चौधरी आवेदक संख्या–01 एवं 02 के पिता तथा आवेदक संख्या–03 के ससूर थे। प्रश्नगत भूमि राज्य बनेली स्टेट तौजी नं0–525 से स्व0 पालो चौधरी ने अपने बड़े पुत्र मोदी चौधरी के नाम से बंदोवस्त लिया था, पालो चौधरी के मृत्यु के पश्चात वर्ष 1974 में आवेदकगण अपने भाईयों के बीच आपसी बंटवारा किया तथा अपने हिस्से के अनुसार जमीन पर आजतक दखलकार चले आ रहें है। जमींदार द्वारा रिटर्न दाखिल करने के आधार पर बिहार सरकार के सिरिस्ता में जमाबंदी संख्या–461 रकवा–02बीघा 03कट्ठा 12धूर 10धूरकी मौजा–कवेला तौजी नं0 525 में दर्ज हुआ। आवेदकगण लगान रशीद प्राप्त करता रहा है परन्तु संयुक्त परिवार होने के चलते आपसी समस्या के कारण नियमित लगान रशीद नहीं कटवाते थे। जब आवेदकगण के0सी0सी0 ऋण के लिए आवेदन दिया तब बैंक ने पृथक लगान रशीद की माँग की इसके लिए जब आवेदकगण ने हल्का कर्मचारी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि जमाबंदी संख्या–461 में जमीन अब शेष नहीं है। बिना जमीन अंतरण किये ही नया जमाबंदी संख्या–476 कायम हो गयी है, जो जमाबंदी संख्या–461 से खारिज होकर जमाबंदी संख्या 476 में आयी है, जिसकी जमाबंदी विपक्षी के पिता स्व0–तारणी चौधरी के नाम से कायम है। विपक्षी पालो चौधरी के उत्तराधिकारी भी नहीं है। आवेदकगण ने जमाबंदी संख्या–476 को रद्द करते हुए जमाबंदी संख्या–461 को पुर्नः स्थापित करने का अनुरोध किया है।

Received for submit 01/09/15.

विपक्षी ने प्रतिउत्तर दाखिल कर कहा है कि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी एवं उसके परिवार 50 वर्षो से भी अधिक समय से दखलकार हैं। विवादित जमीन को खतियानी बताया है, तथा उनके हिस्सेदार की हैसियत से जमीन पर दखल कब्जा बताया है। कुल जमीन 03बीघा 02 कट्ठा 04 धूर बताया है। उन्होंने बताया कि उपर्युक्त जमीन की जमाबंदी संख्या–476 नामांतरण वाद संख्या–620/1970–71 द्वारा तारणी चौधरी जो विपक्षी के दादा है के नाम से कायम हुई है। इन्होंने आवेदकगण का दावा को गलत बताया है तथा उनका आवेदन खारिज करने योग्य बताया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पक्षकार द्वारा दाखिल कागजातों का भी अवलोकन किया। उभयपक्ष विवादित भूमि

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03

6

खतियानी बताते हुए अपना–अपना दावा करते है। जमाबंदी से संबंधित A-Application form में अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत सूचना को देखने से पता चलता है कि 03.04.~~1913~~ 2013 को निर्गत सूचना के अनुसार मौजा– कवेला, थाना नं0–329, तौजी नं0–525, जमाबंदी नं0–461 बी0आर0, रकवा 02बीघा 03कट्ठा 12½ धूर खाता नं0–118, खेसरा नं0–510 मोदी चौधरी पे0–पालो चौधरी, साकिन–कवेला के नाम पंजी0–II में दर्ज है। वर्ष 1975–76 तक लगान वसूल है।

हल्का कर्मचारी ने यह प्रतिवेदन किया है कि *"उपर्युक्त जमाबंदी बोगस के आधार पर खारिज है, जो जमाबंदी संख्या–476 पर दूसरे के नाम से दर्ज होना लिखा गया है।"*

पुनः हल्का कर्मचारी ने उसी information application पर प्रतिवेदित किया है कि *"जमाबंदी संख्या–461 में पूर्व के कर्मचारी द्वारा लिखा गया है कि यह दोबारा बोगस जमाबंदी है। इस जमीन का रशीद जमाबंदी संख्या–476 पर तारणी चौधरी के नाम से कट रही है।"*

दिनांक 03.02.2015 को अंचल अधिकारी, परबत्ता द्वारा निर्गत A-Application में सूचना में अंकित है कि मौजा–कवेला, थाना नं0–329, तौजी–525, जमाबंदी संख्या–476, रकवा–03बीघा 02कट्ठा 04 धूर तारणी चौधरी पिता–भारत चौधरी दाखिल खारिज वाद संख्या– 620/1970–71 से पंजी0–II में संधारित है। लगान वर्ष 2014–15 तक वसूल है। जमाबंदी पंजी जीर्णशीर्ण स्थिति में बताया है।

दिनांक 03.04.2013 की सूचना के अनुसार जमाबंदी संख्या–476 में जमाबंदी संख्या–461 की जमीन ~~की~~ गयी है प्रमाणित करता है, जबकि दिनांक 03.02.2015 की सूचना में जमाबंदी संख्या–476 जो दाखिल खारिज वाद संख्या–620/1970–71 द्वारा कायम है, किस जमाबंदी से स्थानांतरित होकर आया है इसका उल्लेख नही है। उभयपक्ष द्वारा इस जमीन से संबंधि कोई भी खतियान, केवाला या कोई अन्य लेख्य(Document) प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक का आवेदन स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अंचल अधिकारी, परबत्ता द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र दिनांक 03.04.2013 एवं 03.02.2015 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी संख्या–461 बिना किसी आधिकारिक आदेश का ही खारिज कर दिया गया है तथा इससे जमीन नयी जमाबंदी संख्या–476 में दाखिल किया गया है जो सर्वथा अनुचित एवं विधि का अति उल्लंघन प्रतीत होता है।

अतः बिहार दाखिल खारिज अधिनियम की धारा–09 के तहत जमाबंदी संख्या–476 में जमाबंदी संख्या–461 के रकवा 02 बीघा 03 कट्ठा 12½ धूर जमीन की प्रविष्टि रद्द करते हुए उसे जमाबंदी संख्या–461 में पुर्नःस्थापित करने का आदेश पारित किया जाता है।

इसी आदेश के साथ वाद का निस्तार किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, परबत्ता को अनुपालनार्थ भेजें साथ ही एक प्रति जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

10/8/15

अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

10/8/15

अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।